न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 51/2017 जिला सीकर

1. भागीरथ पुत्र भूरा, जाति जाट, निवासी ग्रम नांगल तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान) (मृतक)

1/1 ग्यारसी देवी पत्नी स्व. श्री भागीरथ
1/2 नन्द किशोर
1/3 महावीर
पुत्रान भागीरथ जाति जाट, निवासीयान ग्रम नांगल तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

2. प्रभाती पुत्री भूरा
3. तीजा पुत्री भूरा
4. नानछी पुत्री भूरा
5. गोपी पुत्र कालू
6. हनुमान पुत्र कालू

समस्त जाति जाट, समस्त निवासी ग्रम नांगल, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
दिनांक 1.6.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री रामचन्द्र सैनी
2. राजकीय अधिवक्ता

चित्रा
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक– 27.2.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 1.6.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को ग्रम नांगल, तहसील श्रीमाधोपुर स्थित आराजी में से रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने आदेश कमांकः राजस्व/2017/45 दिनांक 1.6.2017 माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट घोषणा 2015 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं

जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांकः राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक राजस्व/2016/4328–53 दिनांक 2.11.2016 की पालना में तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर रास्ता प्रचलित एवं पुराना होने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने , आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने , मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई होने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59,60 एवं 86 के प्रावधानों एवं तहसीलदार के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं । तहसीलदार श्रीमाधोपुर को संलग्न् प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे । गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगें :–

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	रकबा
1.	नांगल	नांगल	4501	0.02
2.			4501	0.02
3.			4505	0.05
4.			4505	0.04
5.			4506	0.03
6.			3305	0.03
7.			3306	0.02
8.			3308	0.04
9			3309	0.02
10			3310	0.05
11			2263	0.04
12			2254	0.10
13			2225	0.01
14			2239	0.02
15			2240	0.02
16			2253	0.05
17			2241	0.05
18			2243	0.01
19			2250	0.04
20			2304	0.04
21			2305	0.05
22			2306	0.03
23			2311	0.04
24			2198	0.02
25			2199	0.02

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 1.6.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स भागीरथ वगैहरा द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.6.2017 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम नांगल , तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थिति आराजी खसरा नम्बर 2263 रकबा 2.42 हैक्टेयर में से 5/24 भाग का अपीलार्थी संख्या 1, 3/24 भाग के अपीलार्थी संख्या 2,3 व 4 तथा 2/3 भाग के खातेदार अपीलार्थी संख्या 5 व 6 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनां 1.6.2017 तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव के आधार पर विवादित भूमि के खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित करने में विधिक त्रुटि की है । खसरा नम्बर 2263 के राजस्व नक्शे में अपीलाधीन निर्णय से पूर्व गैर मुमकीन रास्ता दर्ज नहीं था । सम्पूर्ण खसरा नम्बर 2263 की किस्म बारानी –3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । विवादित भूमि पर बाजरा व तारामीरा की खेती होती है , जो रास्ते में बाधक होने का खसरा गिरदावरी में अंकन दर्ज है । यदि उक्त खसरा नम्बर में रास्ता होता या रास्ते में बाधा उत्पन्न होती तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिये थी । उनका कहना था कि अपीलार्थीगण की भूमि के पीछे राजनैतिक पहुँच वाले व्यक्तियों की भूमि स्थित है इसलिये अवैध रूप से खसरा नम्बर 2263 में प्रचलित रास्ता होने का प्रस्ताव तहसीलदार से तैयार करवा कर अपीलान्ट्स को सुने बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकार अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाये बिना व उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का असर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसका ज्ञान अपीलान्ट्स को समय पर नहीं होना स्वभाविक है । अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होने पर यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रर्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर ग्रम नांगल के प्रस्तावित खसरा नम्बरान में नांगल की विभिन्न ढाणियों से होते हुए ग्रम त्रिलोकपुरा तक जाने एवं दूसरा रास्ता श्रीमाधोपुर से नांगल जाने वाली मुख्य सडक से ढाणी डूण्डलोडिया, ढाणी बल्डवालों की, ढाणी मथा का ढेहर , कजोड भाखरिया का ढेहर होते हुए मोडयावाली जोहडी तक जाने एवं तीसरा रास्ता ग्रम नांगल से आसपुरा रोड की मुख्य सडक उत्तर की ओर सीमा आसपुरा तक सिरसली जोहडी की ओर जाने एवं प्रचलित रास्ता मौके पर चालू होने तथा किसी प्रकार का अवसरोध नहीं होने से सार्वजनिक हित में गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की अभिशंषा के आधार पर जनहित में पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । ग्रम नांगल की जमाबन्दी संवत 2070–2073 में आराजी खसरा नम्बर 2263 रकबा 2.4200 के खातेदार भागीरथ पुत्र भूरा हि. 5/24 व नानछी , प्रभाती, तीजा पुत्रियॅा भूरा हि. 3/24 राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा श्रीमाधोपुर मूर्तहीन गोपी, हनुमान पि. कालू हि. 2/3 राहिन आर.ओ.बी. शाखा नाथूसर मूर्तहीन कौम जाट सा.देह खातेदार दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 2263 रकबा 0.04 है. में से गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण एवं अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा के आधार पर खातेदारों की भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है । अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2263 रकबा2.42 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर में से उन्हें बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश द्वारा गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । अपीलान्ट्स हितबद्ध व्यक्ति है जिन्हें बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना उनके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को विधिसम्यक नहीं ठहराया जा सकता । हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स हितबद्ध पक्षकार हैं जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अतः अपीलान्ट्स की खातदेारी भूमि खसरा नम्बर 2263 रकबा 0.04 हैक्टेयर की हद तक अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 1.6.2017 निरस्त करते हुये प्रकरण उन्हें अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 1.6.2017 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2263 रकबा 0.04 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर का अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर